विहार विधान सभा वादवृत।

भारत के संविधान के उपवन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वुधवार तिथि ९ जुलाई १९५२ को ११ वजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्पसूचना प्रश्नोत्तर।

Short notice questions and Answers.

CRIME WAVE IN DARBHANGA.

21. **Shri JADUNANDAN SAHAY:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(*a*) whether the attention of Government has been drawn to the news published in a local English Daily of 30th May 1952 under the caption "Crime wave in Darbhanga causing serious alarm";

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative whether Government have noted—

(*i*) that in Jhanjharpur village two persons were shot dead besides one who was wounded and expired in the Madhubani Hospital;

(*ii*) in village Gopalpur under Warisnagar Thana, dacoits decamped with properties worth one thousand rupees, killed with fire-arms three persons and inflicted gun shot injuries on five others;

(*c*) whether it is a fact that there have been numbers of disturbances in Warisnagar Thana (Samastipur Subdivision) during last 4 months and the people residing in that Thana have become very panicky;

(*d*) if the answers to the above clause be in the affirmative whether Government propose to take special and effective measures to stop such lawlessness and crimes particularly in Warisnagar Thana and to put on the table categorical list of crimes committed in the Warisnagar Thana during last four months?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: (*a*) The reply is in the affirmative.

(*b*) This relates to a serious armed dacoity in village Gopalpur, Warisnagar P.-S. on the night of 26th May 1952. About 25 dacoits, armed with three to four guns, attacked the house of Babulal Sahni and Batahu Sahni in the village, which is 8 miles from Warisnagar P.-S. They fired indiscriminately, as a result of which one person died on

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत के विषय में मैं कह चुका हूं कि मेरी नीयत है कि मालगुजारी वसूल करने के काम में ग्राम पंचायत का इस्तामाल अधिक से अधिक हो, लेकिन साथ ही साथ मुझे दिक्कत भी है। आप चाहते हैं कि एलेक्टेड मुखिया हो, लेकिन मेरी दिक्कत है कि यदि वह काफी सेक्युरिटी नहीं दे सकता तो हम उसको मालगुजारी वसूल करने का काम कैसे सौंप सकते हैं?

श्री कपिलदेव नारायण सिंह—मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

(Opposed by Shri Ramanand Tiwari.)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

The provision of Rs. 90,00,000 for "Management of Government Estates" be reduced by Re. 1.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(अवकाश)।

(इस समय उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

गवर्नमेंट द्वारा छोटी जमीन्दारियों का लिया जाना।

TAKING OVER OF SMALL ZAMINDARIS BY GOVERNMENT.

श्री विवेकानन्द गिरी—

I beg to move:

That the provision of Rs. 90,00,000 for "Management of Government Estates, etc." be reduced by Re. 1.

(To discuss the desirability of taking over by Government the small Zamindaris lying in the pockets of estates with gross annual income exceeding Rs. 50,000.)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी देखने में आ रहा है कि हमारी सरकार अपने पूर्व निश्चय के अनुसार ५० हजार से अधिक आमदनी वाली जमीन्दारियों को ले रही है।

सरकार को पता होगा कि कथित जमीन्दारों का हिस्सा विभिन्न ग्रामों में आना और गंडा में भी है।

सरकार को यह भी मालूम है कि एक ग्राम में एक से अधिक तौजी है और सरकार किसी एक तौजी के हिस्से को ले रही है।

सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया था कि बड़ी जमीन्दारियों के दायरे में पड़ने वाले छोटे जमीन्दारों की जमीन्दारी को भी लेने की तजवीज सोची जा रही है। परन्तु इस दिशा में कोई कदम उठाये गये हैं कि नहीं देखने में नहीं आता।

महाशय, यह दूरदर्शिता नहीं मालूम पड़ती कि किसी ग्राम के कुछ अंशों की लगान वसूली आप करें और कुछ के वे ही पुराने जमीन्दार करें।

सम्भव है लगान वसूली के ढंग का अच्छा या बुरा असर एक दूसरे पर पड़े। मुआविजा जिस ढंग से देने को आपने सोचा है, उससे जमीन्दार संतुष्ट नहीं हैं। हो सकता है उनमें से कुछ पंचम पंथी की चाल चलें और आपकी इतनी मेहनत के बाद जो व्यवस्था चालू है, उस पर मनोवैज्ञानिक ढंग पर उलटा असर पड़े।

दूसरी तरफ उन जमीन्दारों का रोब तो अब जाता रहा, लगान वसूली में उन्हें भी बड़ी दिक्कत उठानी पड़े यह सम्भव है।

तीसरी तरफ "आप गये तो जग गया" यह सोच कर जो कुछ थोड़ा भी खेती के तरक्की के कामों में उनका सहयोग रहा उसको वे फिर क्यों देने लगे?

महाशय, इसलिए मैं कहूंगा कि किसी भी हालत में ग्राम के एक हिस्से की लगान वसूली का काम आप करें और दूसरे हिस्सों का विभिन्न जमीन्दारों के ताल्लुक रहे—यह सरकार तथा समाज किसी के लिए भी लाभदायक नहीं।

किफायतश्यारी की नजर से जितने कर्मचारी एक अंश की वसूली में लगते हैं, आनुपातिक ढंग से कहीं कम कर्मचारी बकीये हिस्से की वसूली में लगेंगे।

साथ ही दूसरी तरफ इस विभाग की ओर से कृषि विकास तथा ग्रामोन्नति की अनेक योजनायें भी चालू होंगी, ताकि लोगों पर असर हो कि सरकार के हाथ जमीन्दारी आने से क्या फायदा हुआ।

मैं उम्मीद करता हूं कि जहां की जैसी आमदनी है उसी अनुपात में आप खर्च भी करना चाहेंगे। इस तरह एक अंश से प्राप्त आय पर सारे गांव की तरक्की को महदूद रखेंगे। सम्भव है आप तब यह सोचने लगें कि गांव के अमुक हल्के में ही आपका विकास कार्य सीमित रहे।

"एक नगर में दो भाव" ग्रामीणों पर क्या असर डालेगा?

एक बात और। बहुत से पंचायतों को भी वसूली और निर्माण कार्य के भार आप देंगे। भला पंचायत निर्माण कार्य को पंचायत क्षेत्र के किसी एक ही हिस्से में चालू रखने में कैसे समर्थ हो सकेगी? सम्भव है पंचायत चलाने वालों की सम्पत्ति सरकारी जमीन्दारी के हिस्से में पड़े। फिर तो पंचमांगी लोगों की बन आयगी और बापू के स्वप्न ग्राम-राज्य के नकशे को काफी बदनाम करे, जड़ ही से खत्म कर देने की नौबत उपस्थित हो जाय।

महाशय, अगर आप चाहते हैं, अपने चिर-अभिलाषित नकशे को उतारना, जिसमें वैषम्य की झलक नहीं आवे, एवं ग्राम का समुचित विकास हो तो आपके लिए मुनासिब है कि बड़े जमीन्दारियों के पेटा में की छोटी जमीन्दारियों को भी एक साथ ही लेते चलें।

आप देख लें कि अमुक बड़े जमीन्दार की जमीन्दारी लेनी है तो किन-किन ग्रामों में उस जमीन्दार के साथ दूसरे जमीन्दारों का हिस्सा पड़ता है।

आप उन जमीन्दारों को उनके उस हिस्से के लिए नोटिस दे दें और वह जमीन्दारियों के साथ उनके हिस्से की व्यवस्था भी अपने हाथ ले लें।

सम्भव है कि यदि ऐसा सरकार करे तो जमीन्दारी उन्मूलन की जो योजना है वह सफलीभूत हो सके। मुझे सरकार से यह सिफारिश करनी है कि जो काम आपने शुरू किया है उसमें सिर्फ बड़े-बड़े जमीन्दारों का ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे जमीन्दारों को भी अगर समेट लेंगे तभी यह योजना पूरी हो सकेगी। मुझे विश्वास है कि सरकार इस विचार को पसन्द करेगी।

*श्री रामलखन सिंह यादव—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गिरि जी के कटौती प्रस्ताव

का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो स्कीम अभी सूबे बिहार के जमीन्दारी उठाने के लिए लागू की गई है और जिस रफ्तार से काम चल रहा है अगर वही रफ्तार सरकार की रही तो मैं समझता हूं उससे इस सूबे के किसानों को जिनके लिए यह कानून बना, कोई विशेष फायदा नहीं होगा। जहां तक जमीन्दारी का सवाल है, मैं मानता हूं कि जब तक सूबे बिहार से जमीन्दारी प्रथा का खातमा नहीं होता—चाहे जिस तरह की भी स्कीम आप लावें—किसान की माली हालत अच्छी होने को नहीं। किसान इस सूबे के शरीर के एक अंग हैं और उस अंग में जमीन्दारी प्रथा को मैं कोढ़ मानता हूं। इसलिए जब तक इस बीमारी को दूर नहीं की जाती तब तक शरीर बलवान नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि हमारे सूबे में बहुत तरह के जमींन्दार हैं। छोटे से लेकर बड़े जमीन्दारों की संख्या करीब ४६,००० के लगभग है। अभी गवर्नमेंट को स्कीम के मुताबिक जिस जमीन्दारी की आमदनी ५० हजार से अधिक है उसी को लिया जायगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के इस स्कीम को लागू करने में ही करीब-करीब एक साल लग जायगा। उसके बाद शायद जो स्कीम है उसके मुताबिक २५ हजार के ऊपर वाली जमीन्दारी ली जायगी। इसी तरह धीरे-धीरे यदि एक श्रेणी की जमीन्दारी लेने के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी श्रेणी की जमींन्दारी ली जायगी, तो काफी समय लगेगा। यदि गवर्नमेंट चाहती है कि एक्सपेरिमेन्ट की तौर पर यह नियम लागू करे तो उसका ऐसा समझना गलत है। जब यह प्रिंसिपुल निर्विवाद है कि किसान की हालत सुधारनी पड़ेगी और जमीन की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, तब जमीन्दारी प्रथा जब तक उठा नहीं दी जाती यह सब चीजें नहीं होने वाली हैं। इसलिये इस प्रथा का खातमा बहुत जल्द होना लाजिमी है। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि एक्सपेरिमेंट की तौर पर इस चीज़ को न लावें और इसे एक ही दफा बिल्कुल खतम कर दें।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट का ध्यान कुछ ऐसी जमीन्दारियों की ओर ले जाना चाहता हूं जिनमें जमींन्दारों की तरफ से सब से ज्यादा जुल्म किया जाता है। आपको यह सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि इसी पटने जिले में मसौढ़ा नाम का एक परगना है। उस मसौढ़ा परगने में सूबे बिहार के जमीन्दारों की बस्तियां हैं; वहां ऐसे जमीन्दार रहते हैं जिनका जुल्म वर्षों से मशहूर है। आज हमारे किसानों के श्रद्धेय नेता श्री सहजानन्द सरस्वती इस दुनियां में नहीं हैं, लेकिन आज भी जहां उनकी हड्डी बाकी होगी, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर के इस स्कीम से जरूर उनकी रूह खुश होती होगी। साथ-साथ जहां जमीन्दारों को लेकर सहजानन्द सरस्वती जैसी हस्ती ने इस आन्दोलन को खड़ा किया, जो किसान आन्दोलन के नाम से न सूबे बिहार में बल्कि सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है, यह जान कर दुनिया को दुःख होगा कि वहां की एक भी जमीन्दारी नहीं ली गयी। मैंने प्रश्न के सिलसिले में इस विषय में दो-एक प्रश्न किया था। जवाब भी मिला था कि वहां के चन्द जमीन्दारों पर गवर्नमेंट ने

---

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

नोटिस तामील की थी, स्टेट मैनेजमेंट के सिलसिले में कि उनकी जमीन्दारियां ली जायंगी। आज दुःख की बात है कि अफसर की मर्जी न होने की वजह वहां की जमीन्दारी नहीं ली गयी। यह सुनकर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को ताज्जुब नहीं होना चाहिये कि न सिर्फ बाहर ही, बल्कि गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट में, जमीन्दारों के बहुत ऐसे-ऐसे लोग हैं जो उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं। खासकर हमारे सूबे में बड़े-बड़े महन्थ रहते हैं, उनकी बड़ी-बड़ी जमीन्दारियां हैं। हमारे मसौढ़ा परगना में राजपुर स्टेट के नाम से एक जमीन्दारी मशहूर है, जिसको तीन-तीन बार नोटिस तामील की गई लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि उस महन्थ ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी जिसमें बहुत से अफसर भी शामिल हुए।

उपाध्यक्ष—डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बहस आप इतना ही तक सीमित रखें कि ५०,००० से कम की आमदनी की जमीन्दारी ली जानी चाहिये।

श्री रामलखन सिंह यादव—मैं यह कह रहा हूं कि ऐसे जमीन्दारों की भी जमीन्दारी नहीं ली गयी जिनको पहले स्टेट मैनेजमेंट ऐक्ट में नोटिस तामील की गयी थी और वह आज भी नहीं ली जा रही है। खासकर ऐसे जमीन्दारों के बारे में जनता में गलतफहमी फैल रही है। जब आप तय कर चुके कि जमीन्दारी ली जायगी, जो जमीन्दारी ५० हजार से कम है उसको भी क्यों नहीं लेते? सूबे बिहार में ऐसी जमीन्दारियों की कमी नहीं है। कितने ऐसे जमीन्दार हैं जो हिसाब-किताब की झंझट में फंसाकर आपके अफसर को धोखा देना चाहते हैं और इस कोशिश में हैं कि उनकी जमीन्दारी लिये जाने में डिले हो। अगर एक साल का भी डिले हुआ तो उनको बहुत बड़ा नफा होगा। अगर गवर्नमेंट ने एक साल पहले एक जमीन्दार की जमीन्दारी ले ली और दूसरे की जमीन्दारी एक साल बाद ली, तो दोनों की परिस्थिति में बहुत बड़ा डिफरेन्स हो जायगा। इसलिये तमाम जमीन्दारों की यह कोशिश अभी भी है कि जितना दिन हो सके उनकी जमीन्दारी न ली जाय। जब यह बात जमीन्दारों की तरफ से होती है और माननीय सदस्यों की बात इस सदन में हम सुनते हैं तो हमको ताज्जुब होता है।

आज आपकी हालत उस यात्री की जैसी है जो कहीं मरुभूमि में जाता हुआ पानी से भरा एक गड्ढा देख ले और उससे अपनी प्यास बुझाना चाहे। इसी बीच दो डाक्टर पहुंच जायं और आपस में लड़ने लगें कि गड्ढे का गंदा पानी वह पीये या नहीं। लेकिन वहां तो पानी बिना उस यात्री की हालत क्या हो सकती है आसानी से समझा जा सकता है। वह मरुभूमि में छटपटाकर मर जायेगा। आज सूबे बिहार के किसानों की भी हालत वैसी ही है। जमीन्दारी ली जाती है तो तरह-तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। जमीन्दारी ले लेने पर सवाल होता है कि जमीन्दारों के कर्मचारी रखे जायं या नहीं। मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी सभी जमीन्दारी, चाहे पांच पैसे की हो या एक लाख की, ले ली जाय।

एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। जहां तक मुझे तजरबा है और देखने का मौका मिला है, बड़ी-बड़ी जमीन्दारियों में जो जुल्म होते हैं, किसानों पर जो अत्याचार किये जाते हैं, उनसे कहीं ज्यादा खराब हालत रैयतों की १०-१५ हजारवाली छोटी-छोटी जमीन्दारियों में है। ऐसी हालत में जहां तक किसानों की हालत सुधारने की बात है, छोटी-छोटी जमीन्दारियों में किसानों पर जो ज्यादा अत्याचार होते हैं, उसको मद्दे नजर रखते हुए सरकार को इस पहलू को नहीं भूलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि बिहार से जल्द-से-जल्द इस जमीन्दारी प्रथा नाम की कोढ़ को दूर कर दे।

*श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गिरि जी जिस कटौती के

प्रस्ताव को पेश करते हुए यह कहा कि ५० हजार से कम आमदनी वाली जमीन्दारी ले ली जाय, उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। गवर्नमेंट अपना कानून बना चुकी है, उसके मुताबिक आज या कल स्टेट में जितनी जमीन्दारियां हैं सब ले ली जायंगी। लेकिन इसमें समय की बात है। किसी खास काम को आप एक ही दिन में कर देना चाहें, तो यह असम्भव है। मैं तो कहूंगा कि अगर बिहार के लोग इस बात में जल्दीबाजी करेंगे और डिसटर्बेन्स पैदा करेंगे तो यहां बहुत बड़ा उथल-पुथल मच जायेगा जिसको संभालना हमारी सरकार के लिए मुश्किल हो जायेगा। दूसरी बात यह है कि बड़े-बड़े जमीन्दारों की जमीन्दारियां आपने ले ली हैं। बड़े-बड़े जमीन्दारों के पास पैसे हैं और वे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। छोटे-छोटे जमीन्दारों के पास पैसे नहीं हैं। अगर उनकी जमीन्दारियां ले ली जायंगी तो उनके बच्चों के, जिनकी संख्या लाखों में है, खाने-पीने का इंतजाम भी करना हमारी सरकार का कर्तव्य है। वे बदकिस्मती से जमीन्दारों के घर में पैदा हुए हैं फिर भी जस्टिस का तकाजा है कि उनके खाने-पीने का इन्तजाम किया जाय।

अगर आप छोटी जमीन्दारियों को ले लेंगे तो बेचारे वे क्या खायेंगे? पहले आपको उनकी स्थिति की जानकारी होनी चाहिये। आप उनकी जमीन्दारी को ले लेने के पहले उनको कम्पन्सेट करने का इन्तजाम कर लें, नहीं तो उन गरीब जमीन्दारों को बहुत तकलीफ होगी। मैं इस बात को भी मानता हूं कि छोटे जमीन्दारों की बदौलत कुछ अत्याचार हुए हैं, लेकिन वे बिचारे भी बहुत तबाह हैं। आज कोई भी जमीन्दार नहीं चाहता कि उसकी जमीन्दारी रहे। जमीन्दारी रखना गुनाह हो गया है। तरह-तरह के टैक्स लगाये जा रहे हैं जिससे उनकी तबाही बढ़ गई है। इसलिये जमीन्दारी लेने के पहले उनके खाने-पीने का इन्तजाम आपको करना चाहिये।

श्री शत्रुघ्न बेसरा—हमें अपनी मातृभाषा संथाली में बोलने की आज्ञा दी जाय।

Shri KRISHNA GOPAL DAS: Sir, he can not express himself fully in Hindi.

उपाध्यक्ष—

He has spoken in this House in Hindi before.

हिन्दी में आपकी बातों को लोग समझेंगे, संथाली में नहीं समझेंगे। इसलिये मैं संथाली में बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आप हिन्दी में बोलें।

*श्री शत्रुघ्न बेसरा—मैं कहना चाहता हूं कि ५० हजार से ऊपर की जमीन्दारी आप ले रहे हैं तो उससे गरीब प्रजा को फायदा नहीं होगा। इसलिये आप ५० हजार से नीचे की जमीन्दारी भी ले लें, तभी गरीबों की उन्नति होगी। गरीबों के लिये सबसे जरूरी चीज है खजाना (मालगुजारी) देना। इसलिये आप मालगुजारी को

---

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

आधा कर दीजिये। दूसरी बात यह कही गई है कि मालगुजारी वसूल करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया जाय। इसपर हमें कोई यतराज नहीं है। लेकिन आज जिस तरह की ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं उनके हाथ में इतना बड़ा काम सौंप देना ठीक नहीं। ग्राम पंचायत सब इलेक्टेड नहीं हुई हैं। हो सकता है कि कहीं-कहीं कानून के अनुसार बनी हों, लेकिन हमारे संथाल परगना में जो ग्राम पंचायत बनी हैं वह नोमिनेटेड हैं। कांग्रेस वालों ने जिसको चाहा मुखिया या सरपंच बना दिया। वह ग्राम पंचायत नाजायज है। उसके हाथ में ऐसा काम नहीं देना चाहिये।

Shri KRISHNA GOPAL DAS: Sir, I want a ruling on the point raised by Shri Besra.

उपाध्यक्ष—आपको रुलिंग मिलेगी।

---

*श्री सैयद मुहम्मद आकिल :—ओन ए प्वाएन्ट ऑफ ऑर्डर सर, अभी एक मेम्बर ने संथाली में बोलने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन आपने उनको हिन्दी या इंगलिश में ही बोलने के लिये कहा। तो मैं आपकी तवज्जह रूल ३० ऑफ दि असेम्बली रूल्स की तरफ दिलाना चाहता हूँ। वह यह है कि—

"The business of the Assembly shall be transacted in Hindi in Devanagri script or in English:

Provided that the Speaker may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his mother tongue:

Provided further that for a period of five years from the 1st of January, 1949, the text of every Bill introduced in and passed by the Assembly shall be in English and shall be accompanied by a Hindi translation of the same."

बात इतनी थी कि हमारे दोस्त ने कहा था कि एडेक्वेटली हिन्दी जबान में वे नहीं समझा सकते हैं। वैसी हालत में आपको यह अख्तियार था कि आप उन्हें संताली में बोलने की इजाजत दें या न दें। मैं यह नहीं कहता कि खामखाह वे संताली जबान में ही बोलते। लेकिन जब उन्होंने यह अर्ज किया कि हिन्दी में बोलना उनके लिए मुश्किल है तो वैसी हालत में अन्डर रूल ३० ऑफ दि असेम्बली रूल्स आप अपना डिसक्रिशन एक्सरसाइज कर के इजाजत दे सकते थे।

उपाध्यक्ष—जिस रूल की ओर सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वह मेरे सामने है। इस सम्बन्ध में एक और माननीय सदस्य ने रूलिंग चाही है। लेकिन मैं इस समय रूलिंग देने को तैयार नहीं हूँ और न इसका प्रश्न ही उठता है। रूल की जबान यह है कि :

"The business of the Assembly shall be transacted in Hindi in Devanagri script or in English:

Provided that the Speaker may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the House in his mother tongue."

---

*सदस्य ने भाषण संशोधित नहीं किया।

यहां पर स्पीकर को डिस क्रिशन का हक है और मुझे विश्वास है कि मैंने अपना डिसक्रिशन सही तरीके पर एक्सरसाइज किया और प्रयोग के फल से भी मालूम होता है कि माननीय सदस्य संताली में अगर बोलते तो उनके विचारों से दूसरे माननीय सदस्य लाभ नहीं उठा सकते जैसा उनके हिन्दी बोलने से हुआ। इसके अलावा एक बार पहले भी वे हिन्दी में बोल चुके हैं जिससे मालूम होता है कि वे अपना ख्याल हिन्दी में जाहिर कर सकते हैं।

Under Rule 149(2) of the Assembly Rules not more than two days shall be taken by the Assembly for the discussion of any one Demand and under Rule 153(7) Demands for Supplementary Grants shall be dealt with in the same manner as if they were Demands for annual Grants.

इस डिमान्ड पर बहस ७ जुलाई १९५२ को २-४० (अपराह्न) से शुरू हुई थी और आज २-४० तक बहस चली। इसलिये अब इस डिमान्ड पर आगे बहस नहीं चलाई जा सकती।

प्रश्न यह है :

"That the provision of Rs. 90,00,000 for "Management of Government Estates, etc." be reduced by Re. 1.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है :

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 90,00,005 over and above the provisions in the Bihar Appropriation (No. 2) Act 1952, as passed by the Bihar Legislature, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1953, in respect of "Land Revenue" for the new schemes indicated in the schedule at page 2 of the First Supplementary Statement of Expenditure."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वन : FOREST.

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: Sir, I beg to move that a Supplementary sum not exceeding Rs. 87,325 over and above the provisions in the Bihar Appropriation (No. 2) Act, 1952, as passed by the Bihar Legislature, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1952, in respect of 'Forest' for the new schemes indicated in the schedule at page 3 of the First Supplementary Statement of Expenditure.

This motion is made on the recommendation of the Governor.